

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 534 / 2016 / उदयपुर.

2. अपील संख्या - 535 / 2016 / उदयपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर.

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स पी. वी. आर. लिमिटेड, उदयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

3. क्रॉस ऑब्जेक्शन संख्या - 1128 / 2016 / उदयपुर.

4. क्रॉस ऑब्जेक्शन संख्या - 1129 / 2016 / उदयपुर.

मैसर्स पी. वी. आर. लिमिटेड, उदयपुर.

.....प्रार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर.

.....अप्रार्थी.

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

श्री के. एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी राजस्व की ओर से.

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

निर्णय दिनांक : 23 / 01 / 2017

निर्णय

1. उपरोक्त दोनों अपीलें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 150 व 151/वेट/14-15/उदयपुर में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 7.8.2015 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलार्थी राजस्व की अपीलों के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा भी वेट अधिनियम की धारा 83(4) के अन्तर्गत पृथक-पृथक प्रत्याक्षेप (क्रॉस ऑब्जेक्शन्स) प्रस्तुत किये गये हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की आलौच्य अवधियों के लिये वेट अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 12.09.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कर व ब्याज की पुष्टि की है, जबकि वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया है।

लगातार.....2

1-2. अपील संख्या - 534/2016 व 535/2016/उदयपुर.

3-4. प्रत्याक्षेप (क्रॉस-ऑब्जेक्शन्स) संख्या-1128/16 व 1129/16/उदयपुर.

2. उपरोक्त सभी अपीलों एवं प्रत्याक्षेप (क्रॉस ऑब्जेक्शन्स) प्रार्थना-पत्रों के पक्षकार, तथ्य एवं विवाद बिन्दु समान होने से इन प्रकरणों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है तथा निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा स्वयं के मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर के परिसर में स्नेक्स, कोल्ड ड्रिंक्स एवं पॉपकॉर्न की बिक्री की जाती है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा पॉपकॉर्न की बिक्री पर 5 प्रतिशत की कर दर से कर वसूल कर राजकोष में जमा करवाया गया था परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त माल पॉपकॉर्न को वेट अधिनियम की कर अनुसूची के किसी भी शेड्यूल में विशिष्ट नाम से अंकित नहीं होने से उसे अनुसूची-V में आच्छादित होना मानते हुए उस पर 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए उस पर 9 प्रतिशत की दर से अन्तर कर एवं अनुवर्ती ब्याज तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा पॉपकॉर्न की कर दर गलत घोषित करने से अधिनियम की धारा 61 के तहत कर की दुगुनी राशि की शास्ति भी आरोपित की गई जिससे व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गयी थी, जिसका निस्तारण आदेश दिनांक 07.08.2015 से करते हुए यह अवधारित किया गया कि पॉपकॉर्न वेट अधिनियम की अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 131 जिसमें पॉपकॉर्न का नाम अंकित नहीं है एवं इसे एक सामान्य नमकीन नहीं मानते हुए एक खाद्य वस्तु मानकर इस पर सामान्य कर दर 14 प्रतिशत से करारोपण किया जाना विधिसम्मत माना परन्तु व्यवहारी द्वारा बिक्री को लेखा-पुस्तकों में दर्ज किया हुआ था तथा प्रस्तुत नियमित विवरण पत्रों में भी उक्त माल की बिक्री की समुचित घोषणा की हुई थी परन्तु कर दर में मतभेद होने से 14 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत से कर वसूल किया गया ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तामिलनाडू के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 26 टैक्स अपडेट 01 के अनुसरण में धारा 61 की शास्ति को अपास्त किया गया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय आदेश के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है। अपीलार्थी राजस्व द्वारा अपीलें प्रस्तुत कर अपीलीय आदेश में शास्ति को अपास्त किये जाने को चुनौती दी गयी है एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा इन अपीलों के विरुद्ध क्रॉस ऑब्जेक्शन्स प्रस्तुत किये गये हैं।

1-2. अपील संख्या - 534/2016 व 535/2016/उदयपुर.

3-4. प्रत्याक्षेप (क्रॉस-ऑब्जेक्शन्स) संख्या-1128/16 व 1129/16/उदयपुर.

5. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत जो शास्ति आरोपित की गयी थी वह विधिसम्मत थी क्योंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जिस माल का विक्रय किया गया था वह 5 प्रतिशत की सूची में अंकित नहीं था, उसके उपरान्त भी 5 प्रतिशत की कर दर से कर वसूल कर राजकोष में जमा करवाया गया है जबकि विधिक रूप से इस माल पर 14 प्रतिशत से करदेयता अवधारित थी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा भी 14 प्रतिशत की कर दर को उचित माना गया है। ऐसी स्थिति में कर के साथ शास्ति का आरोपण किया जाना विधिसम्मत होने से कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को इस सीमा तक पुनर्स्थापित करने का निवेदन किया।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी एवं क्रॉस ऑब्जेक्शनकर्ता द्वारा लिखित जवाब भिजवाया गया है जिसमें कथन किया कि उनके द्वारा किसी भी क्रय विक्रय को न तो लेखा-पुस्तकों से छिपाया गया है एवं न ही विवरण पत्रों से छिपाया गया है। इस तरह प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा किसी भी तरह का Concealment नहीं किये जाने की स्थिति में वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया जाना न्याय के विरुद्ध है। अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार एवं निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुकूल आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है अतः अपीलीय आदेश में किसी तरह का हस्तक्षेप विधि एवं न्याय के विरुद्ध बताया।

7. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक की बहस एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी की लिखित बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया।

8. प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिकरापवंचन वृत्त द्वारा यह प्रकरण बनाया गया था कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सिनेमाहॉल में अन्य सामान जैसे स्नेक्स, कोल्डड्रिंक्स आदि की बिक्री के साथ जो पॉपकॉर्न की बिक्री की गयी है उस पर कर दर विधि अनुसार घोषित नहीं की गयी है। इस आधार पर अभियोग बनाकर प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् एवं पूर्ण विवेचन के साथ यह आदेश पारित किया गया है कि पॉपकॉर्न वेट अधिनियम की अनुसूची-IV में सम्मिलित नहीं है एवं इसे नमकीन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया जा सकता ऐसी स्थिति में यह अनुसूची-V के अनुसार सामान्य कर दर 14 प्रतिशत से कर योग्य है परन्तु व्यवहारी द्वारा जानबूझकर विवादित माल पॉपकॉर्न पर कम कर दर घोषित की है अतः सामान्य कर दर, अनुवर्ती ब्याज एवं वेट अधिनियम की धारा 61(1) के तहत शास्ति आरोपित की गयी।

1-2. अपील संख्या - 534/2016 व 535/2016/उदयपुर.

3-4. प्रत्याक्षेप (क्रॉस-ऑब्जेक्शन्स) संख्या-1128/16 व 1129/16/उदयपुर.

9. कर निर्धारण आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा कर दर के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी के मत से सहमति प्रदान करते हुए कर एवं अनुवर्ती ब्याज की पुष्टि की गयी परन्तु वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को इस आधार पर अपास्त किया गया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा किसी भी तरह की बिक्री को लेखा-पुस्तकों एवं विवरण-पत्रों से छिपाया नहीं गया है, बल्कि मात्र व्याख्या में भिन्नता होने से 5 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया गया है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार शास्ति को अपास्त किया गया है।

10. अपीलीय अधिकारी का शास्ति के बिन्दु पर किया गया निर्णय विधिसम्मत एवं न्यायोचित है क्योंकि धारा 61(1) के निम्न स्पष्ट प्रावधान हैं :-


61. Penalty for avoidance or evasion of tax. -


(1) Where any dealer has concealed any particulars from any return furnished by him or has deliberately furnished inaccurate particulars therein or has concealed any transactions of sale or purchase from his accounts, registers or documents required to be maintained by him under this Act or has avoided or evaded tax in any other manner, the assessing authority or any officer not below the rank of an Assistant Commercial Taxes Officer as may be authorised by the Commissioner, may direct that such dealer shall pay by way of penalty, in addition to the tax payable by him under this Act, a sum equal to two times of the amount of tax avoided or evaded.

11. उक्त प्रावधान में deliberately गलत घोषणाओं पर ही शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है, जबकि उक्त मामले में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मत भिन्नता से 5 प्रतिशत की कर दर से कर वसूल किया गया है, जिसके लिये शास्ति आरोपित किया जाना न्यायसम्मत प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलीय अधिकारी ने शास्ति को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

12. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं। साथ ही प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत क्रॉस ऑब्जेक्शन्स भी तदनुसार निस्तारित किये जाते हैं।

13. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल.जैन)
सदस्य


(खेमराज)
अध्यक्ष